367

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2014 निगरानी 3524-I/14

लज्जाराम जाटव पुत्र श्री सामलिया जाटव,
आयु 60 वर्ष, निवासी–ग्राम छौदा तहसील
व जिला– मुरैना (म0 प्र0)

– आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जिला–मुरैना

– अनावेदक

प्री० के० श्रीवास्तव, अभि०
9-10-14 को

9-10-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.09.2014 प्रकरण क्रमांक 04 /2013-14 (निगरानी) , द्वारा पारित न्यायालय कलेक्टर जिला–मुरैना

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
1X/X/14

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:–

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक को नसबंदी कराने के एवज में मध्यप्रदेश ग्रामीण योजना के अंतर्गत भूखण्ड प्रदान की जाने की योजना अंतर्गत परिवार नियोजन के अवार्ड के रूप में म0 प्र0 शासन के द्वारा सन् 1987 में मोजा छौदा तहसील मुरैना के सर्वे क्रमांक 438 (बंदोबस्त पश्चात नवीन सर्वे क्र0 1031) में 30X30 = 900 वर्गफुट का भूखण्ड भूमिस्वामी अधिकार सहित प्रदान किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ एनेक्चर–पी/1 के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

3

2. यहकि, उक्त भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने के उपरांत आवेदक ने अपनी झोपड़ी बनाकर सपरिवार निवास करता चला आ रहा था, परंत उक्त भूखण्ड जो कि आवेदक को दिया गया था व उसी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—3424—एक / 2014 जिला—मुरैना

लज्जाराम जाटव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर मुरैना, जिला—मुरैना के प्र. क्र. 04 / 2013—14 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12—09—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु **प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग,चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।** **2 / पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।** **(आर0के0 जैन)** **सदस्य**	11.3.19